

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा (राज.)

- | | | |
|---|------|---|
| 1. प्रदीप कुमार आहूजा आयु 56 वर्ष पुत्र स्वर्गीय किशनलाल जाति पंजाबी | बनाम | 1. अशोक कुमार आहूजा पुत्र टहलाराम जाति आहूजा पंजाबी निवासी खाई रोड नयापुरा कोटा |
| 2. दिलीप कुमार आहूजा आयु 62 वर्ष पुत्र स्वर्गीय किशनलाल जाति पंजाबी | | 2. राजस्थान राज्य जर्ज तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा राज0 |
| 3. दीपक कुमार आहूजा आयु 51 वर्ष पुत्र स्वर्गीय किशनलाल जाति पंजाबी | | - प्रतिवादीगण |
| 4. चित्रा आयु 59 वर्ष पुत्री स्वर्गीय किशनलाल जाति पंजाबी | | |
| 5. सरोज आयु 56 वर्ष पुत्री स्वर्गीय किशनलाल जाति पंजाबी | | |
| 6. अनीता आहूजा आयु 56 वर्ष पुत्री स्वर्गीय किशनलाल जाति पंजाबी | | |
| 7. प्रवीण आहूजा आयु 56 वर्ष पुत्र स्वर्गीय मदनलाल जाति पंजाबी | | |
| 8. उमा आयु 56 वर्ष पुत्री स्वर्गीय मदनलाल जाति पंजाबी | | |
| 9. ज्योति आयु 56 वर्ष पुत्री स्वर्गीय मदनलाल जाति पंजाबी | | |
| 10. शेफाली आयु 56 वर्ष पुत्री स्वर्गीय मदनलाल जाति पंजाबी निवासीगण खाई रोड नयापुरा कोटा | | |

-वादी

—:: वाद अन्तर्गत धारा 88,89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ::—

मुकद्मा नं. 142/2025

इस वाद में आज तारीख को वादीगण के वाद पत्र में फाइनल डिक्री जारी की जाती है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार कर आदेश दिए जाते हैं कि कि ग्राम नया नोहरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा में खसरा नंबर 26 रकबा 4.69 हेक्टर भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी संख्या 1 लगायत 6 को 1/2 हिस्से आराजी एवं वादी संख्या 7 लगायत 10 को 1/2 हिस्से आराजी का खातेदार घोषित किया जाता है। वाद के खर्चे लेखे ... X ...रुपये की राशि, आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर... X ...प्रतिषत प्रतिवर्ष की दर से व्याज सहित Xद्वारा X ..को दी जाए।

यह डिक्री आज तारीख 4/11/2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।



उपखण्ड अधिकारी
कोटा

वाद के खर्चे

वादी	रूपये	प्रतिवादी	रूपये
1. वादपत्र के लिये स्टाम्प 2 शक्तिपत्र के लिये स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिये स्टाम्प 4.....रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों केलिये निर्वाह व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामील		शक्तिपत्र के लिये स्टाम्प अर्जी के लिये स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिये निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	



5
उपखण्ड अधिकारी
कोटा